

आदेश संख्या: 08/2022 (प्रशासकीय)

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र सं.-2419/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated; 02 Jan.2022, पत्र सं.-2423/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated; January 09.2022 व पत्र सं.-2427/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated; 16 January.2022 द्वारा कोविड महामारी के प्रभाव व प्रसार के दृष्टिगत न्यायालय कार्य आदि के संबंध में मेरे द्वारा पारित आदेश सं० 04/2022 (प्रशासकीय) दि० 16.01.2022 को विस्तारित करते हुए निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी चक्रानुक्रम में कार्य निष्पादन हेतु उपस्थित आयेगें :-


क्रम संख्या	दिनांक	न्यायिक अधिकारी
1.	28 व 29 जनवरी, 2022	अपर प्रधान न्यायाधीश प्रथम, पारिवारिक न्यायालय बाराबंकी
2.	31 जनवरी व 01 फरवरी 2022	अपर प्रधान न्यायाधीश द्वितीय, पारिवारिक न्यायालय बाराबंकी
3.	02 व 03 फरवरी, 2022	प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय बाराबंकी
4.	04, 05 फरवरी, 2022	अपर प्रधान न्यायाधीश प्रथम, पारिवारिक न्यायालय बाराबंकी

उक्त तिथियों पर सम्बन्धित नामित न्यायिक अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर उनकी पूर्व सूचना पर उनके प्रभारी/लिंग अधिकारी द्वारा न्यायालय उपस्थित आकर उपरोक्त न्यायिक कार्य निष्पादित किया जाएगा।

उपरोक्त आदेश दिनांक 27.01.2022 से प्रभावी रहेगा।


सर्व संबंधित सूचित हो।

27.01.2022


(दुर्जन नारायण सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय
बाराबंकी

इस आदेश की एक प्रति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पर जन साधारण को सूचनार्थ अपलोड किया जाए तथा एक प्रति जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए।

27.01.2022

न्यायालय की आज्ञा से

प्रशासनिक अधिकारी
पारिवारिक न्यायालय
बाराबंकी।